न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उनवान– संतोष देवी बनाम राजूलाल आदि

किस्म मुकदमा– आ0 पत्र अ0धारा 212 आर.टी.ए. 1955 मु.नं0 108 वर्ष 2024

| दिनांक | आज्ञा पत्र | |
|---|---|---|
| 07.02.2025 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीयां उपस्थित। बहस प्रार्थना–पत्र टी0आई0 सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 212 रा0काश्त0अधिनियम स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीया की भूमि पर अतिक्रमण करके तारबंदी न तोडकर प्रवेश नहीं करने तथा मौके पर यथास्थिति बनाये रखते हुए प्रार्थीया की नींव–सींव को नष्ट न करने हेतु पाबन्द करने हेतु निवेदन किया गया।<br>हमने वकील प्रार्थीयां की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॅार्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0 अधिनियम पेश होने पर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने पर अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 बावजूद रजिस्टर्ड तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई है। प्रार्थीया द्वारा विवादित भूमियों बाबत धारा 188 अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद पत्र पेश किया गया है। चूंकि वाद का निस्तारण मेरिट के आधार पर किया जाना है इसलिए न्यायहित में अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना न्यायालय उचित समझता है।<br>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0 अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व ग्राम डूकियां, प0ह0 डूकियां तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर की तन में अवस्थित वादग्रस्त भूमि ख0नं0 2474 / 1329 रकबा 0.0600 है0 ख0नं0 2549 / 1329 रकबा 0.2500 है0 में प्रार्थीया को उसके हक हिस्से से बेदखल करने, वादग्रस्त भूमियों को खुर्द–बुर्द करने,पेड़ पौधे काटने, मौका सुरत बदलने, विक्रय करने, रहन रखने किसी भी तरह से हस्तांतरित एंव प्रभारित करने एंव प्रार्थीया के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी करने से बाज रहे एंव प्रार्थीया की भूमि पर अतिक्रमण करके तारबंदी तोडकर प्रवेश नहीं करे तथा मौके पर यथास्थिति बनाये रखते हुए प्रार्थीया की नींव–सींव को नष्ट न करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।<br>सहायक कलक्टर (मु0)सीकर | |

Scanned with CamScanner